कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(संग्रहालय, निदेशालय)
सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर
निविदा शर्त

बक्सर, दिनांकः– 18.6.19

संख्या–72 /कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार (संग्रहालय निदेशालय) के अन्तर्गत सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आउटसोर्सिंग के तहत् सुरक्षा गार्ड एवं संग्रहालय की सफाई, उद्यान के रख रखाव आदि कार्य हेतु चौकीदार/माली/स्वीपर की सेवा के लिये प्रतिष्ठित निबंधित एजेन्सी यथा– कम्पनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म का चयन करने हेतु कम्पयूटरीकृत टंकित तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में मुहरबन्द करते हुए उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग के तहत् सेवा प्रदान करने हेतु मुहरबन्द निविदा स्पष्ट रुप से अंकित कर मुहरबन्द निविदा दिनांक 03.07.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष से प्राप्त किया जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक–19.06.2019 से 01.07.2019 तक विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है या सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर (मो० सं०–8292711949) के कार्यालय कक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डः–

1. निविदादाता की कम्पनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान का संगत कानून के अधीन निबंधित होने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य अनुभव के रुप में संबंधित कम्पनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को विगत 03 (तीन) वर्षों में बिहार सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड का सेवा प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन करने वाली कम्पनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म प्रतिष्ठान को ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा, जो सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर के पदनाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदा सूचना प्रकाशन तिथि के बाद का होना चाहिए।
4. संस्था के नाम से चल रहे बैंक खाते का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर के PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी का शपथ–पत्र जिसमें लिखा हो कि मेरा फर्म/एजेन्सी किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी उपक्रम में काली सूची में नहीं है तथा पूर्व में भी दोषी नहीं पाया गया है, संलग्न करना होगा।
7. निविदा में दर E.P.F., E.S.I. तथा लागू सभी कर एवं सेवा प्रदाता के सेवा शुल्क सहित अंकित करें। मासिक देय राशि के दर की गणना माह में 26 (छब्बीस मात्र) दिनों की मजदूरी के आधार पर श्रम विभाग द्वारा अद्यतन देय पारिश्रमिक की श्रेणी के अनुसार की जायेगी। शून्य सेवा शुल्क अंकित करने वाले प्रदाता का प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा। कार्यबल की श्रेणी का निर्धारण संलग्न तालिका के अनुसार किया जायेगा जिसमें वांछित संख्या अंकित है। वित्तीय प्रस्ताव में अंकित प्रस्ताव (वित्तीय) का मदवार राशि अंकित करें, यथा– देय मजदूरी + E.P.F., E.S.I. + G.S.T. + अन्य कोई कर यदि लागू हो + सेवा शुल्क।
8. सुरक्षा सेवा प्रदाता को PSARA के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. सेवा हेतु प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी, सेवा प्रदाता फर्म में कम–से–कम दो वर्ष पूर्व से निबंधित होना चाहिए।
10. चयनित एजेन्सी को सभी सुरक्षा गार्ड को पहचान–पत्र एवं संबंधित संग्रहालय द्वारा निर्धारित एक समान पोशाक (शर्ट–ब्लू एवं पैन्ट– ब्लैक/ब्लू साड़ी) उपलब्ध कराना होगा जिसपर संबंधित एजेन्सी का नाम तथा सुरक्षा गार्ड का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
11. सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए।
12. चयनित निविदादाता से आवश्यकतानुसार सुरक्षागार्ड की संख्या में कटौती/वृद्धि सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर द्वारा की जा सकती है।
13. संबंधित सुरक्षा गार्ड पुरुष/महिला पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं उनकी उम्र 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं उनसे तीन पालियाँ में कर्त्तव्य तालिका (रोस्टर) के अनुसार कार्य लिया जाएगा। कोई अतिरिक्त ओवरटाइम शुल्क देय नहीं होगा।

प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड द्वारा अनुशासनहीनता की स्थिति में संबंधी सुरक्षा गार्ड को तत्काल हटाना होगा और उक्त गार्ड के स्थान पर तत्काल प्रतिस्थानी उपलब्ध कराना होगा।

संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मी द्वारा संग्रहालय/संग्रहालय स्थित सरकारी सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाए जाने पर उसका भरपाई सम्बन्धित सेवा प्रदाता प्रतिष्ठान को करना होगा।

14. एजेन्सी का चयन तीन वर्षों के लिए किया जायेगा, जो उनके कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में सेवाओं के लिए एकरारनामा अगले एक–एक वर्ष के लिये सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर के कार्यालय प्रधान द्वारा किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक महीने के नोटिस पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।
15. निदेशालय द्वारा निर्धारित एकरारनामा प्रारुप पर संबंधित संग्रहालय द्वारा एकरारनामा सम्पादित किया जायेगा।
16. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कर्मचारियों का भविष्य निधि स्कीम/पेंशन को लागू करने का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों का राज्य बीमा निगम में बीमा कराने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के बाद ही भुगतान देय होगा। सारी जवाबदेही एजेन्सी की होगी। पूर्व में बकाया राशि देय नहीं होने या लम्बित नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।
17. निविदादाता का अपना आवासीय प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर उसकी छायाप्रति संलग्न करना होगा, जो इसी वर्ष का होना चाहिए।
18. चयनित निविदादाता को ई.पी.एफ. (फर्म+कर्मी) एवं E.S.I. की निर्धारित राशि प्रतिकर्मी के दर से जमा की गयी रसीद की छायाप्रति विपत्र के साथ संलग्न करने के बाद ही अगले माह का भुगतान किया जाएगा।
19. आवेदक संस्था का वार्षिक टर्न ओवर तीन वर्षों में कम–से–कम ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र का होना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षण बैलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
20. निविदा स्पष्ट अंकित/कम्प्यूटर प्रिंट होना चाहिए। कटिंग, ओवरराइटिंग वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. निविदा की शर्त्तो में कभी भी फेरबदल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
22. निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए प्रमाणित करना होगा।
23. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदा को आंशिक रुप से अथवा पूर्णतः स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
24. एक सुरक्षा कर्मी एक दिन में एक ही पाली में कार्य करेंगे। लागू श्रम कानून को किसी भी स्थिति में उल्लंघन नही किया जा सकता है।
25. निजी सुरक्षा गार्ड, दीर्घा चौकीदार एवं माली की मजदूरी श्रम विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित कुशल एवं स्वीपर अकुशल श्रेणी की होनी चाहिए।
26. आवंटन उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में भुगतान में विलम्ब हो सकता है। उक्त स्थिति में कर्मी को चयनित निविदादाता द्वारा नियमित रुप से भुगतान करना होगा।
27. किसी भी प्रकार का विवाद के निस्तारण हेतु स्थानीय स्तर पर न्यायिक क्षेत्र सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर (संग्रहालय निदेशालय) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं राज्य स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना होगा।
28. आर्विट्रेशन की स्थिति में आर्विट्रेशन का स्थान पटना होगा एवं निदेशक, संग्रहालय, बिहार आर्विट्रेशन प्राधिकार एवं एक मात्र आर्विट्रेटर होंगे।

18.6.2019

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,
सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर

कला, संस्कृति एवं युवाविभाग
(संग्रहालय निदेशालय)
सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर
निविदा आमंत्रण सूचना

बक्सर, दिनांकः– 18.6.19

संख्या 72 / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार (संग्रहालय निदेशालय) के अन्तर्गत सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आउटसोर्सिंग के तहत् सुरक्षा गार्ड एवं संग्रहालय की सफाई, उद्यान के रख रखाव आदि कार्य हेतु चौकीदार/माली/स्वीपर की सेवा के लिये प्रतिष्ठित निबंधित एजेन्सी यथा– कम्पनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म का चयन करने हेतु कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में मुहरबंद करते हुए उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग के तहत् सेवा प्रदान करने हेतु मुहरबन्द निविदा स्पष्ट रुप से अंकित कर मुहरबन्द निविदा दिनांक–03.07.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त किया जायेगा। दिनांक–19.06.2019 से 01.07.2019 तक निविदा प्रारुप विभागीय वेबसाइट www.yac.bih.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है या सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

18.6.2019

(अरविन्द महाजन)
सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,
सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर